प्रेस नोट थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर दिनांक 05.11.2024

हत्या का प्रयास करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद असलहा व 02 अदद जिंदा कारतूस बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी बांसगांव के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष बेलीपार के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 385/24 धारा 109,115(2), 352, 315(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त रवि शुक्ल पुत्र ज्वाला शुक्ल निवासी ग्राम करजहीं थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद असलहा व 02 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.11.2024 को वादी मुकदमा अपने चहारदीवारी की दीवार को ऊँचा करके उसपर टिन शेड रख रहे थे कि उनके पड़ोसी अभियुक्त रवि शुक्ला अपने अन्य साथियों के साथ आये और वादी मुकदमा, उनकी माता व उनके भाई के साथ वाद-विवाद करते हुए मारपीट किये। इसी दौरान अभियुक्त रवि शुक्ला द्वारा असलहे से फायर किया गया जिससे वादी के भाई के पैर में गोली लग गयी। घायलों को तत्काल सीएचसी कौड़ीराम ईलाज हेतु ले जाया गया जहां डाक्टरों द्वारा परीक्षण व प्राथमिक उपचार किया गया। 01 व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। घायलों को सदर अस्पताल गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। घायलों की स्थिति सामान्य है। उक्त के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रवि शुक्ल पुत्र ज्वाला शुक्ल निवासी ग्राम करजहीं थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 385/24 धारा 109,115(2), 352, 315(3) बीएनएस थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद असलहा व 02 अदद जिंदा कारतूस